रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 642] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 31, 1984/पौष 10, 1906
No. 642] NEW DELHI, MONDAY, DEC. 31, 1984/PAUSA 10, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1984

का. आ. 980(अ).—केन्द्रीय सरकार, विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 (1976 का 49) की धारा 8 के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विदेशी अभिदाय (दानों या उपहारों की स्वीकृति या प्रतिधारण) विनियम, 1978 का आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. इन विनियमों का संक्षिप्त नाम विदेशी अभिदाय (दानों या उपहारों की स्वीकृति या प्रतिधारण) संशोधन विनियम, 1984 है।

2. विदेशी अभिदाय (दानों या उपहारों की स्वीकृति या प्रतिधारण) विनियम, 1978 में, विनियम 3 के उप-विनियम (6) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(6) यदि उप-विनियम (5) के अधीन इस प्रकार किए गए निर्धारण के संबंध में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो वह केन्द्रीय सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा जो उसका विनिश्चय करेगी ।"

[सं. 2/21022/10(1)/83-एफ.सी.आर.ए.-1]

सुरजीत सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 1984

S.O. 980(E).—In pursuance of clause (d) of Section 8 of Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976 (49 of 1976), the Central Government hereby makes the following regulations to amend the Foreign Contribution (Acceptance or Retention of Gifts or Presentations) Regulations, 1978, namely :—

1. These regulations may be called the Foreign Contribution (Acceptance or Retention of Gifts or Presentations) Amendment Regulations, 1984.

2. In the Foreign Contribution (Acceptance or Retention of Gifts or Presentations) Regulations, 1978 for sub-regulation (6) of regulation 3, the following shall be substituted, namely :—

"(6) If any question arises relating to the assessment so made under sub-regulation (5) it shall be referred to the Central Government who shall decide the same."

[No. II|21022|10(1)|83-FCRA-I]

SURJIT SINGH, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054 1985